संख्या–415/15–XIX–2/89 खाद्य/2013 टी0सी0I

प्रेषक,

राधा रतूडी,
प्रमुख सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

1– आयुक्त,
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग,
उत्तराखण्ड ।

2– सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक,
गढवाल/कुमॉयू सम्भाग,
देहरादून/हल्द्वानी ।

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति अनुभाग–2 **देहरादूनः दिनांक 18 सितम्बर, 2015**

विषयः राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA), अन्त्योदय अन्न योजना एवं Tide Over Allocation के अर्न्तगत माह अक्टूबर 2015 से अग्रिम माहों हेतु खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) का मासिक आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अवर सचिव, उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या–1–8/2013 बी0पी0–III (Vol–II) दिनॅाक 16–09–2015 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें जिसके द्वारा उत्तराखण्ड राज्य हेतु राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA), अन्त्योदय अन्न योजना एवं Tide Over Allocation के अर्न्तगत माह अक्टूबर 2015 से अग्रिम माहों हेतु खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) का मासिक आवंटन निम्नानुसार जारी किया गया है :–

योजना का नाम	मसिक आवंटन (मी0 टन में)			केन्द्रीय निर्गमन मूल्य (प्रति कुन्तल)	
	चावल	गेहूँ	योग	चावल	गेहूँ
अन्त्योदय अन्न योजना	3995.300	2448.730	6444.030	रू0 300.00	रू0 200.00
प्राथमिक परिवार	16746.670	10264.100	27010.770		
योग	20741.970	12712.830	33454.800		
Tide Over Allocation	2792.400	5669.400	8461.800	रू0 830.00	रू0 610.00

2. अतः उक्त के आलोक में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि भारत सरकार से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA), अन्त्योदय अन्न योजना एवं Tide Over Allocation के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन को जनपदवार ब्रेकअप (संलग्नक –1, 2 एवं 3) के अनुसार जारी किया जाना सुनिश्चित करें।

क्रमशः....2 पर

3. जिला पूर्ति अधिकारी अपने–अपने जनपदों हेतु आवंटित खाद्यान्न की मात्रा का योजनावार बेस गोदाम/ब्लॉक गोदाम एवं आन्तरिक गोदामवार ब्रेकअप तत्काल संभागीय खाद्य नियंत्रको को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगे ताकि आवंटित खाद्यान्न का मूल्य समयान्तर्गत भारतीय खाद्य निगम के पक्ष में जमा कर निर्धारित अवधि में इसका उठान करते हुये पर्वतीय जनपदों में इसका प्रेषण सुनिश्चित किया जा सके।

4. आवंटित खाद्यान्न की मात्रा से अन्त्योदय अन्न योजना के प्रत्येक राशनकार्ड धारक को प्रतिमाह 35 किग्रा0 खाद्यान्न एवं प्राथमिक परिवारों को 5 किग्रा0 खाद्यान्न प्रतियूनिट प्रतिमाह निम्न तालिका के अनुसार निर्धारित उपभोक्ता दरों पर उपलब्ध कराया जायेगा। योजनावार प्रतिमाह वितरित की जाने वाली मात्रा एवं दरें निम्न है :–

क्र0 सं0	योजना का नाम	खाद्यान्न का नाम	उपलब्ध कराई जाने वाली मात्रा		उपभोक्ताओं हेतु निगर्मन दरें (प्रति किग्रा0)
1	अन्त्योदय अन्न योजना	गेहूँ	21.700 किग्रा0	35.00 किग्रा0 प्रतिकार्ड	रु0 2.00
		चावल	13.300 किग्रा0		रु0 3.00
2	प्राथमिक परिवार	गेहूँ	2.00 किग्रा0	5.00 किग्रा0 प्रति यूनिट	रु0 2.00
		चावल	3.00 किग्रा0		रु0 3.00

Tide Over Allocation के अन्तर्गत आवंटित खाद्यान्न की उपभोक्ताओं हेतु निगर्मन मात्रा/दरें पृथक से सूचित की जायेंगी। अग्रिम आदेशों तक Tide Over Allocation के अर्न्तगत आवंटित खाद्यान्न की मात्रा का उठान कर गोदामों में संग्रहित रखा जायेगा।

5. माह अक्टूबर, 2015 हेतु आवंटित खाद्यान्न की लागत को जमा करने एवं उठान की वैधता अवधि भारत सरकार के आदेश के जारी होने की तिथि 16.09.2015 से 30 दिनों तक सीमित होगी तथा अग्रेत्तर माहों हेतु आवंटित खाद्यान्न का मूल्य जमा करने तथा उसके उठान की वैधता भारत सरकार के पत्र संख्या 1–2/2007 बी0पी0–III दिनॅाक 11–07–2014 के अनुसार होगी।

6. यदि सम्भागीय खाद्य नियंत्रको द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अर्न्तगत ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय अन्न योजनाओं के माह अक्टूबर, 2015 के आवंटन के अनुरूप भारतीय खाद्य निगम के पक्ष में धनराशि जमा करा ली गई हो अथवा खाद्यान्न का उठान सुनिश्चित कर लिया गया हो तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA), अन्त्योदय अन्न योजना एवं Tide Over Allocation के अर्न्तगत संशोधित आवंटन के अनुरूप धनराशि का समायोजन कर खाद्यान्न का उठान सुनिश्चित किया जायेगा।

क्रमशः........3 पर

7. माह अक्टूबर, 2015 से राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) लागू होने के दृष्टिगत दिनॉक 01.10.2015 के पश्चात किसी भी दशा में पूर्ववर्ती माहों का सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय अन्न योजनाओं का खाद्यान्न कदापि वितरित नही किया जायेगा। यदि किसी जनपद से इस सम्बन्ध में शिकायत प्राप्त होती है तो दोषी कार्मिकों के विरूद्व कार्यवाही सम्पादित की जायेगी।

8. राज्य में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना (NFSA) लागू होने से पूर्व दिनॉक 30.09.2015 की मध्यरात्रि में राजकीय गोदामों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए0पी0एल0, बी0पी0एल0, अन्त्योदय अन्न योजना एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं के अंतिम अवशेष के भौतिक सत्यापन के सम्बन्ध में विस्तृत दिशा–निर्देश आयुक्त, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति द्वारा निर्गत किये जायेंगे।

9. मासिक रूप से आवंटित गेहूँ का उठान स्टेट पूल योजना में न होने की दशा में भारतीय खाद्य निगम से एवं समस्त आवंटित चावल की मात्रा का निर्गमन स्टेटपूल योजना के अन्तर्गत संग्रहित चावल की मात्रा से किया जायेगा ।

10. उपरोक्त योजनाओं में आवटिंत खाद्यान्न की मात्रा केवल उसी प्रयोजन के लिए निर्गत/वितरित की जायेगी, जिस हेतु भारत सरकार तथा शासन द्वारा अनुमति प्रदान की गयी है। आवटिंत खाद्यान्न की मात्रा का निर्गमन किसी अन्य उद्देश्य एवं योजना हेतु कदापि न किया जाए।

11. जिला पूर्ति अधिकारी अपने जनपदों हेतु संलग्न जनपदवार ब्रैकअप के अनुसार आवंटित खाद्यान्न की मात्रा पात्र लाभार्थियों को प्रतिमाह वितरण करने के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र नियन्त्रण आदेश, 2001 के अनुसार निर्धारित अवधि तक खाद्यायुक्त कार्यालय में उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेगें।

12. स्टेटपूल योजना के अन्तर्गत चावल समाप्त होने की दशा में आवंटित चावल की मात्रा का क्रय जनपदों के आवटंन के अनुरूप भारतीय खाद्य निगम से किया जायेगा। सम्भागीय खाद्य नियन्त्रक, गढवाल/कुमॅायू सम्भाग आवंटित चावल का संचरण मितव्ययता के दृष्टिगत कराना सुनिश्चित करेगें जिससे परिवहन मद में राज्य सरकार को कम से कम व्यय वहन करना पडे।

13. वित्त नियन्त्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा स्टेटपूल योजना से निर्गत खाद्यान्न की मात्रा की धनराशि प्रतिपूर्ति (Subsidy) का प्रस्ताव भारत सरकार को निर्धारित प्रारूपों पर नियमानुसार उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा ।

14. संभागीय खाद्य नियंत्रकों द्वारा स्टेटपूल योजना के अन्तर्गत संग्रहित खाद्यान्न की मात्रा का ऑफटेक पाक्षिक/मासिक रूप से प्रत्येक माह की 01 तारीख व 16 तारीख को खाद्यायुक्त कार्यालय में स्थापित खाद्य नियंत्रण कक्ष को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

क्रमशः........4 पर

15. वित्तीय वर्ष 2015—16 हेतु समय समय पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत ए0पी0एल0, बीपी0एल0 एवं अन्त्योदय अन्न योजनाओं हेतु जारी नियमित/तदर्थ आवंटन दिनॉक 30.09.2015 को समाप्त समझे जायेंगे। उपरोक्त के सम्बन्ध में निकट भविष्य में यदि भारत सरकार से कोई दिशा—निर्देश प्राप्त होते हैं तो तद्नुसार इस शासनादेश में संशोधन किया जायेगा।

संलग्नकः—उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(राधा रतूड़ी),
प्रमुख सचिव।

संख्या— /15—XIX—2/89 खाद्य/2013 टी0सी0I तददिनॉक

प्रतिलिपिः— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवम् आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1— संयुक्त सचिव, उपभोक्ता मामले,खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मन्त्रालय, भारत सरकार, कृषि भवन, नई दिल्ली को पत्र संख्या—1—8/2013 बी0पी0—III (Vol—II) दिनॉक 16—09—2015 के सन्दर्भ में सूचनार्थ ।
2— आयुक्त,गढवाल/कुमॉयू मण्डल, पौडी/नैनीताल ।
3— अपर सचिव, मा0 मुख्यमन्त्री को मा0 मुख्यमन्त्री जी के अवलोकनार्थ ।
4— स्टाफ आफीसर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन को मुख्य सचिव के अवलोकनार्थ ।
5— समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड ।
6— वित्त नियन्त्रक, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड ।
7— महाप्रबन्धक, भारतीय खाद्य निगम, उत्तराखण्ड ।
8— सम्भागीय वरिष्ठ वित्त अधिकारी(खाद्य), गढवाल/कुमॉयू सम्भाग,देहरादून/हल्द्वानी ।
9— उपसम्भागीय विपणन अधिकारी, देहरादून/हरिद्वार/पौडी/हल्द्वानी/उधमसिंह नगर ।
10— समस्त जिला पूर्ति अधिकारी, उत्तराखण्ड ।
11— वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, मा0 मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग, उत्तराखण्ड को मा0 मन्त्री जी के अवलोकनार्थ ।
12— समन्वयक, एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड शासन ।
13— गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(राधा रतूड़ी),
प्रमुख सचिव।

संलग्नक–1

संख्या– 415/15–XIX–2/89 खाद्य/2013 टी0सी0I

राज्य के अन्त्योदय अन्न योजना के कार्डधारकों हेतु केन्द्रीय निर्गमन दरों पर माह अक्टूबर, 2015 से आगामी माहों के लिए आवटिंत गेहूँ/चावल का मासिक जनपदवार ब्रैकअप।

(मात्रा मी0टन में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्डो की संख्या	यूनिट्स की संख्या	चावल का आवंटन	गेहूँ का आवंटन	कुल आवंटन
1.	पौडी गढवाल	13469	50492	292.236	179.111	471.347
2.	रूद्रप्रयाग	3911	13923	84.857	52.010	136.867
3.	टिहरी गढवाल	24168	101470	524.373	321.386	845.759
4.	उत्तरकाशी	13785	55537	299.093	183.312	482.405
5.	हरिद्वार	37076	163224	804.437	493.036	1297.473
6.	देहरादून	14528	76425	315.221	193.227	508.448
7.	चमोली	8294	33676	179.955	110.294	290.249
योग		**115231**	**494747**	**2500.172**	**1532.376**	**4032.548**
8.	नैनीताल	14782	68192	320.725	196.571	517.296
9.	अल्मोडा	14392	57058	312.263	191.385	503.648
10.	पिथौरागढ	10833	43116	235.044	144.058	379.102
11.	उधम सिंहनगर	17434	79635	378.265	231.837	610.102
12.	बागेश्वर	5628	24718	122.111	74.842	196.953
13.	चम्पावत	5840	24492	126.720	77.661	204.381
योग		**68909**	**297211**	**1495.128**	**916.354**	**2411.482**
महायोग		**184140**	**791958**	**3995.300**	**2448.730**	**6444.030**

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव

संलग्नक–2

संख्या–415/15–XIX–2/89 खाद्य/2013 टी0सी0I

राज्य के प्राथमिक परिवारों के कार्डधारकों हेतु केन्द्रीय निर्गमन दरों पर माह अक्टूबर, 2015 से आगामी माहों के लिए आवटिंत गेहूँ/चावल का मासिक जनपदवार ब्रैकअप ।

(मात्रा मी0टन में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	कार्डो की संख्या	यूनिट्स की संख्या	चावल का आवंटन	गेहूँ का आवंटन	कुल आवंटन
1.	पौडी गढवाल	88279	391161	1212.599	743.206	1955.805
2.	रूद्रप्रयाग	31592	137612	426.797	261.533	688.330
3.	टिहरी गढवाल	62026	295866	917.185	562.146	1479.331
4.	उत्तरकाशी	37656	156666	485.665	297.665	783.330
5.	हरिद्वार	208655	982621	3046.125	1866.980	4913.105
6.	देहरादून	198044	922767	2860.578	1753.258	4613.836
7.	चमोली	42111	184974	573.559	351.599	925.158
	योग	**668363**	**3071667**	**9522.508**	**5836.387**	**15358.895**
8.	नैनीताल	105168	507291	1572.602	963.853	2536.455
9.	अल्मोडा	68016	347584	1077.510	660.410	1737.920
10.	पिथौरागढ	59525	264650	820.415	502.835	1323.250
11.	उधम सिंहनगर	188986	925334	2868.535	1758.135	4626.670
12.	बागेश्वर	28452	139167	431.418	264.417	695.835
13.	चम्पावत	27754	146349	453.682	278.063	731.745
	योग	**477901**	**2330375**	**7224.162**	**4427.713**	**11651.875**
	महायोग	**1146264**	**5402042**	**16746.670**	**10264.100**	**27010.770**

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव

संलग्नक–3

संख्या–1115/15–XIX–2/89 खाद्य/2013 टी0सी0I

Tide Over Allocation के अर्न्तगत केन्द्रीय निर्गमन दरों पर माह अक्टूबर, 2015 से आगामी माहों के लिए आवटिंत गेहूँ/चावल का मासिक जनपदवार ब्रेकअप ।

(मात्रा मी0टन में)

क्र0 सं0	जनपद का नाम	राशनकार्डो की संख्या	यूनिट्स की संख्या	चावल का आवंटन	गेहूँ का आवंटन	कुल आवंटन
1.	पौडी गढवाल	65201	326002	182.041	369.624	551.665
2.	रूद्रप्रयाग	20222	101109	56.559	114.738	171.297
3.	टिहरी गढवाल	57479	287394	160.481	325.848	486.329
4.	उत्तरकाशी	30518	152590	85.349	173.180	258.529
5.	हरिद्वार	198015	989985	552.587	1122.547	1675.404
6.	देहरादून	179316	896579	500.650	1016.542	1517.192
7.	चमोली	36010	180046	100.639	204.140	304.779
योग–		**586761**	**2933705**	**1638.576**	**3326.619**	**4965.195**
8.	नैनीताल	96592	482956	269.684	547.580	817.264
9.	अल्मोडा	57700	288495	161.098	327.101	488.199
10.	पिथौरागढ	46289	231444	129.238	262.412	391.650
11.	उधम सिंहनगर	165063	825311	460.855	935.742	1396.597
12.	बागेश्वर	23990	119952	66.980	135.999	202.979
13.	चम्पावत	23628	118137	65.969	133.947	199.916
योग–		**413262**	**2066295**	**1153.824**	**2342.781**	**3496.605**
महायोग–		**1000023**	**5000000**	**2792.130**	**5669.130**	**8461.800**

(राधा रतूडी)
प्रमुख सचिव